न्यायालय उप जिलाकलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
126/2012	31.7.2012	24/3/2025

1. सन्तरा पुत्री श्रीफूल पत्नी किरोडी | जाति चमार निवासी
2. कमलेश पुत्री श्रीफूल पत्नी मटरूआ | रतियापुरा
3. प्रेमवती पुत्री श्रीफूल पत्नी बुधराम | जाति चमार निवासी
4. कल्ली पुत्री श्रीफूल पत्नी प्रकाश | राजपुरा तहसील हिण्डौन

——वादीगण

बनाम

1. लीला पत्नी स्व0 सुबुद्धी, जाटव निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2. परभाती पुत्र श्रीफूल, जाटव निवासी खानपुरबडौदा (मृतक—नाम हजफ)
3. महेन्द्र पुत्र श्रीफूल, जाटव निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4. पून्या पुत्र बंशी, जाटव नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)

4/1.विजय पुत्र पून्या, जाटव निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी

4/2.राजू उम्र 8 वर्ष पुत्र पून्या नाबालिग जरिए संरक्षक सम्पत्ती पत्नी पून्या जाटव निवासी खारपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी

4/3.महेश उम्र 6 वर्ष पुत्र पून्या नाबालिग जरिए संरक्षक सम्पत्ती पत्नी पून्या जाटव निवासी खारपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी

4/4.सम्पत्ती पत्नी पून्या, जाटव निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुरसिटी

5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज
विभाजन,स्थाई निषेधाज्ञा एवं मंसूखी वयनामा

उपस्थित :— श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी में भूमि ख0नं0 582 रकबा 21 एयर, ख0नं0 584 रकबा 2 एयर, ख0नं0 585 [illegible] 593 रकबा 56 एयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.44 है0 स्थित [illegible] जिसका वर्तमान में इन्द्राज खातेदारी मुताबिक जमाबंदी परभाती [illegible] व पून्या हि0 1/2 चला आ रहा है। उक्त आराजियात श्रीफूल व पून्या की सहखातेदारी की भूमि रही है जिसमें 1/2 हिस्सा मृतक श्रीफूल [illegible] व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी पून्या का रहा है एवं ये अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि को काश्त करते चले

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज.)
उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

आ रहे हैं। खातेदार श्रीफूल का स्वर्गवास हो चुका है। श्रीफूल के वारिस उसके पुत्र परभाती, हरजी, महेन्द्र तथा पुत्रियां सन्तरा, कमलेश, प्रेमवती, कल्ली हैं । इनमें हरजी की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण मृतक श्रीफूल की पुत्रियां हैं तथा प्रतिवादी परभाती व महेन्द्र मृतक श्रीफूल के पुत्रगण हैं। मृतक श्रीफूल की मृत्यु के उपरान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एक ही केटेगिरी के वारिस होने के कारण प्रत्येक बराबर के हिस्से के वारिसान हैं और इस कारण से श्रीफूल की मृत्यु के उपरान्त श्रीफूल की हिस्से की भूमि का इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के साथ वादीगण के हक में खुलना चाहिए था। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बराबर के यानि 1/6 हिस्से के सहखातेदार टीनेन्ट हैं। इस प्रकार उपरोक्त आराजियात से वादीगण श्रीफूल के हिस्से में 2/3 अर्थात उक्त भूमि में 1/3 के खातेदार टीनेन्ट हैं और प्रतिवादी संख्या 2 व 3 श्रीफूल के हिस्से में 1/3 यानि कुल भूमि में 1/6 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट हैं। वादीगण अपनी ससुराल में रहती हैं और समय समय पर गांव आकर अपने पिता के साथ व उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के साथ संयुक्त रूप से काश्त करती चली आ रही है। वादीगण महिलाऐं हैं इस कारण वादीगण को उक्त इन्द्राज की कभी कोई जानकारी नहीं हुई क्योंकि भूमि पर वादीगण का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। उक्त आराजियात के हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कोई वास्ता नहीं है बल्कि श्रीफूल के हिस्से के 1/3 के ही खातेदार टीनेन्ट हैं और वादीगण 2/3 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट हैं। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की उक्त आराजियात में सम्पूर्ण भूमि श्रीफूल की हिस्सा 1/2 को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी सं0 1 के परिवार का पूरे गांव में आतंक है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को रकम दिए बगैर ही दो अलग अलग विक्रयनामा दिनांक 15.10.07 व 20.11.07 का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हिस्सा 1/4 प्रत्येक का बयनामा अपने हक में करवा लिया जिसकी वादीगण को कभी कोई जानकारी नहीं हुई। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने विक्रय से पूर्व वादीगण की सहमति भी नहीं ली। इस प्रक[illegible] विक्रयनामे वादीगण के विरूद्ध वोइड एवं एबइनिशियो [illegible] विक्रयनामों से पाबंद नहीं है तथा वादीगण के [illegible] वादीगण माह मार्च 2008 में जब अपनी उक्त आराजियात की फसल का[illegible] गई तब प्रतिवादी संख्या 1 अपने साथ मजदूर लेकर फसल काटने आई व विक्रय के बारे में बतलाया तो वादीगण को विक्रयनामों के बारे में पता चला । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:32 IST
Reason: SelfAttested

व 3 को उक्त आराजियात में से 1/12, 1/12 हिस्से से ज्यादा हिस्से को विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त विक्रयनामों के आधार पर वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहती है और मार्च 2008 में वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी। प्रतिवादी संख्या 1 स्ट्रेन्जर परचेजर है और बिना विभाजन के प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषित किया जावे कि भूमि ख0नं0 582 रकबा 21 एयर, ख0नं0 584 रकबा 2 एयर, ख0नं0 585 रकबा 65 एयर, ख0नं0 593 रकबा 56 एयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.44 है0 स्थित ग्राम खानपुरबडौदा में वादीगण 1/3 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट हैं और इसी अनुसार 1/3 हिस्से का इन्द्राज खातेदारी वादीगण के हक में राजस्व व लैण्ड रिकार्ड में अंकन किया जाकर रिकार्ड की दुरूस्ती की जावे। उपरोक्त आराजियात का बंटवारा किया जाकर 1/3 हिस्से की भूमि का वादीगण के नाम अलग से खाता खोला जावे और इसी मुताबिक ट्रेस में तरमीम की जावे। बयनामा जो प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 के हक में दिनांक 15.10.07 व दिनांक 20.11.07 को पंजीकृत करवाया है, को वादीगण के विरूद्ध नल, वोइड, इनइफेक्टिव व शून्य घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो उक्त भूमि के 1/3 हिस्से के कब्जे काश्त में वादीगण के साथ कोई मजाहमत पैदा नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 5, 4/1 से 4/4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दिनांक 5.12.2014 को हजफ किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि विवादित भूमि से वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, वादीगण ने कभी भूमि को काश्त नहीं किया है ना ही इनका भूमि पर कभी कब्जा रहा है। प्रतिवादी महेन्द्र व परभाती ने सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त करने के उपरान्त ही विवादित भूमि प्रतिवादिया संख्या 1 को अरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की है तथा विक्रय पत्र को निरस्त करने का रेवेन्यु अदालत को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:13:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गईः—

1. आया वादपत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादीगण मृतक श्रीफूल के विधिक वारिसान होने के कारण श्रीफूल के 2/3 हिस्से में 1/3 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट होने के अधिकारी हैं। ——वादीगण

2. आया वादपत्र के मद नम्बर 6 के अनुसार विक्रयनामा दिनांक 15.10.07 व दिनांक 20.11.07 वोइड एवइनिशियो और शून्य होने के कारण बेअसर है। ——वादीगण

3. आया विक्रय पत्र निरस्त करने का रेवेन्यु अदालत को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ——प्रतिवादी नं0 1

4. दादरसी ।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल विक्रय पत्र दि0 18.10.2007 प्रदर्श—1, नकल विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2007 प्रदर्श—2, नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064 प्रदर्श—3 पेश किए हैं एवं बयान वादिया मु0 सन्तरा पी0 डब्लू0 1, बयान गवाह विजयसिंह पी0डब्लू0 2 कराए हैं।

जबाब वादपत्र के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं कोई मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

दिनांक 15.4.2021 को प्रतिवादी सं0 1 व इनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/2 वादीगण के पिता श्रीफूल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। इस भूमि में वादीगण का जन्म से ही अधिकार एवं हिस्सा रहा है। वादीगण के पिता श्रीफूल की मृत्यु के पश्चात् यह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी परभाती व महेन्द्र के नाम विरासत में दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने केवल प्रतिवादी परभाती व महेन्द्र के नाम ही विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो वादीगण के विरूद्ध शुरू से ही प्रभावहीन व शून्य है। प्रतिवादी महेन्द्र ने वादग्रस्त भूमि ख0नं0 582, 585, 593 में से उसके हिस्से की भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 18.10.2007 को प्रतिवादिया श्रीमती लीला को बेचान कर दी एवं प्रतिवादी परभाती ने वादग्रस्त भूमि ख0नं0 582, 585, 593 में से उसके हिस्से की भूमि दिनांक 20.11.2007 को जरिए रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)
उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज0)

विक्रयपत्र बेचान कर दी। प्रतिवादी महेन्द्र व प्रतिवादी परभाती को वादग्रस्त भूमि का इस प्रकार बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि इन तीनों नम्बरो में वादीगण का 2/3 हिस्सा नीहित रहा है। प्रतिवादी महेन्द्र व परभाती द्वारा प्रतिवादी श्रीमती लीला के पक्ष में तहरीर व तस्दीक कराए गए उपरोक्त वर्णित विक्रयपत्र वादीगण के हिस्से तक अप्रभावी व शुन्य है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं विक्रयपत्र दिनांक 18.10.2007, 20.11.2007 को वादीगण के हिस्से की सीमा तक अप्रभावी व शुन्य घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में तनकीवाइज विवेचना एवं निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी नं0 1 :– आया वादपत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादीगण मृतक श्रीफूल के विधिक वारिसान होने के कारण श्रीफूल के 2/3 हिस्से में 1/3 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट होने के अधिकारी हैं। ––वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत हालांकि वादग्रस्त भूमि की श्रीफूल की खातेदारी की नकल जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है परन्तु वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064 खाता संख्या 127 ग्राम खानपुरबडौदा प्रदर्श–3 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में परभाती, महेन्द्र पि0 श्रीफूल हि0 1/2 दर्ज है। वादीगण ने अपने आपको मृतक श्रीफूल की वारिस होना बताया है एवं वादीगण के इस कथन का प्रतिवादीगण की ओर कोई खण्डन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण मृतक श्रीफूल की खातेदारी में दर्ज रही वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्सा की भूमि में 2/3 हिस्से की व प्रतिवादी महेन्द्र, परभाती हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:– आया वादपत्र के मद नम्बर 6 के अनुसार विक्रयनामा दिनांक 15.10.07 व दिनांक 20.11.07 बोइड एवइनिशियो और शून्य होने के कारण बेअसर है। ––वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064 खाता संख्या 127 ग्राम खानपुरबडौदा प्रदर्श–3 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में परभाती, महेन्द्र पि0 श्रीफूल हि0 1/2 दर्ज है। नकल विक्रयपत्र दिनांक 18.10.2007 प्रदर्श–1 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 582, 585, 593 में प्रतिवादी महेन्द्र ने अपना हिस्सा प्रतिवादी श्रीमती लीला को बेचान किया है एवं नकल विक्रयपत्र दिनांक 20.11.2007 प्रदर्श–2 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 582, 585, 593 में प्रतिवादी परभाती ने अपना हिस्सा प्रतिवादी श्रीमती

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:32 IST
Reason: SelfAttested

सन्तरा वगैरा बनाम लीला वगैरा, दावा

लीला को बेचान किया है। चूंकि तनकी नम्बर 1 में की गई विवेचना व निर्णय के अनुसार इस वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 2/3 हिस्सा जन्म से ही नीहित है इसलिए उपरोक्त दोनों विक्रयपत्र वादीगण के विरुद्ध 2/3 हिस्से तक बोइड एवइनिविरियो एवं शुन्य, प्रभावहीन है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित होने के कारण वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 :— आया विक्रय पत्र निरस्त करने का रेवेन्यु अदालत को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। —प्रतिवादी नं0 1

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को प्रमाणित करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई दस्तावेज या न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः यह तनकी प्रमाणित नहीं कर पाने के कारण प्रतिवादी नं0 1 के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4 :— दादरसी ।

इस प्रकार तनकीवाइज किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादीगण का वाद अभिलेख से प्रमाणित है तथा वादीगण के पक्ष में डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को भूमि ख0नं0 582 रकबा 21 एयर, ख0नं0 584 रकबा 2 एयर, ख0नं0 585 रकबा 65 एयर, ख0नं0 593 रकबा 56 एयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.44 है0 ग्राम खानपुरबडौदा में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विक्रयपत्र दि0 18.10.2007 एवं 20.11.2007 को वादीगण के इस हिस्से तक वादीगण के विरूद्ध नल, वोइड, इनइफेक्टिव व शुन्य घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण को उपरोक्त घोषित भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही किसी अन्य से करावें । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/3/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:32 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई | Judi/Civil
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) | Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. सन्तरा पुत्री श्रीफूल पत्नी किरोडी
2. कमलेश पुत्री श्रीफूल पत्नी मटरूआ
जाति चमार निवासी रतियापुरा

3. प्रेमवती पुत्री श्रीफूल पत्नी बुधराम
4. कल्ली पुत्री श्रीफूल पत्नी प्रकाश
जाति चमार निवासी राजपुरा तहसील हिण्डौन

—वादीगण

बनाम

1. लीला पत्नी स्व0 सुबुद्धी, जाटव निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2. परभाती पुत्र श्रीफूल, जाटव निवासी खानपुरबडौदा (मृतक—नाम हजफ)
3. महेन्द्र पुत्र श्रीफूल, जाटव निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4. पून्या पुत्र बंशी, जाटव नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
4/1.विजय पुत्र पून्या, जाटव निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4/2.राजू उम्र 8 वर्ष पुत्र पून्या नाबालिग जरिए संरक्षक सम्पत्ती पत्नी पून्या जाटव निवासी खारपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4/3.महेश उम्र 6 वर्ष पुत्र पून्या नाबालिग जरिए संरक्षक सम्पत्ती पत्नी पून्या जाटव निवासी खारपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4/4.सम्पत्ती पत्नी पून्या, जाटव निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुरसिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज
विभाजन,स्थाई निषेधाज्ञा एवं मंसूखी बयनामा

मुकदमा नं. —126/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोके[illegible] मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त [illegible] अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जा[illegible] 582 रकबा 21 एयर, ख0नं0 584 रकबा 2 [illegible] बा 65 एयर, ख0नं0 593 रकबा 56 एयर कुल किता 4 कुल रकबा 1[illegible] है0 ग्राम खानपुरबडौदा में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विक्रयपत्र दि0 18.10.2007 एवं 20.11.2007 को वादीगण के इस हिस्से तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (सवाई०)

वादीगण के विरूद्ध नल, बोइड, इनइफेक्टिव व शुन्य घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण को उपरोक्त घोषित भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही किसी अन्य से करावें ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/3/2025 को जारी किया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:32 IST
Reason: SelfAttested